संख्या– /XXVIII(1)/2017-65(मे0का0)/2016

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय चन्दर नगर, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांकः 02 जनवरी 2017**

विषयः– **प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटद्वार हेतु चयनित भूमि विकास एंव चाहरदीवारी के निर्माण कार्य हेतु धनराशि की वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति के** संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–26प/चि0शि0/93/2015/6200 दिनांक 11.11.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटद्वार हेतु चयनित भूमि विकास एंव चाहरदीवारी के निर्माण कार्यो हेतु आगणन की लागत ₹ 414.48 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0/वित्त द्वारा संस्तुत सिविल निर्माण कार्यों हेतु संस्तुति धनराशि ₹ 328.03 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार रू0 73.45 लाख इस प्रकार कुल ₹ 401.48 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित बजट ₹ 200.00 लाख में से कुल धनराशि **₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड मात्र)** व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
ii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
iii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
iv. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
v. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
vi. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।
vii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
viii. प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजायन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजायन/मानक, पूर्ण रूप

से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

ix. द्वितीय चरण के विस्तृत आगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये कि "प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चके हैं"।

x. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया हो एवं स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

xii. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

xiii. उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार एवं कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति के आधार पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

xiv. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xv. कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि योजना हेतु किये जाने वाले कार्य आवंटन/निविदा/आउटसोर्स आदि की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने हेतु समय–समय पर सूचनाऐं चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी।

xvi. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

xvii. कार्य का निष्पादन मानकानुसार व पूर्ण गुणवत्ता सहित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xviii. शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा निर्धारित संगत प्रपत्रों पर सूचना प्राप्त करते हुये समीक्षा के उपरान्त सुनिश्चित हो लिया जायेगा कि उक्त प्रस्ताव बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(छः)(2) के अनुरूप है और इसकी स्वीकृति से टाइम/कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न नही होगी।

xix. शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

xx. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–253/XXIVII(7)32/2007 दिनांक 10.11.2016 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

2– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–03 –चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–16–मेडिकल कॉलेज कोटद्वार की स्थापना–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–233(P)/XXVII(3)/2016-17, दिनांक 26, दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर एलोटमेन्ट आई0डी0 संलग्न है।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या 08 /XXVIII(1)/2017-65(मे0का0)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून इकाई।
8. बजट प्रकोष्ट, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।